जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ / एल.पी.सी. / 17 / डी– 451 दिनांकः– 5-6-17

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **134वीं बैठक** दिनांकः 31.05.2017 को **अपराह्न** 04.00 **बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		134:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 133वीं बैठक दिनांक 12.04.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 118वीं से 133वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 133वीं बैठक दिनांक 12.04.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 118 से 133 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा अवशेष अनुपालना रिपोर्ट पर संतोष जाहिर किया।
2.	2	134:2	जिला पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर (ग्रामीण), को महिला थाना जिला जयपुर (ग्रामीण) के प्रशासनिक / आवासीय भवनों हेतु विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर–10 में भूखण्ड संख्या पी–8 क्षेत्रफल 2669.43 व.मी. भूमि में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–2 द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर (ग्रामीण), को महिला थाना जिला जयपुर (ग्रामीण) के प्रशासनिक / आवासीय भवनों हेतु विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर–10 में भूखण्ड संख्या पी–8 क्षेत्रफल 2669.43 व.मी. भूमि में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि पुलिस विभाग द्वारा पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर (ग्रामीण) कार्यालय हेतु भी भूमि आवंटन की मांग की गई है। चूंकि इस प्रकरण में प्रस्तावित भूमि पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर (ग्रामीण) कार्यालय के लिये भी उपयोगी हो सकती है, अतः पुलिस विभाग से उपायुक्त पुनः विचार विमर्श कर आगामी एलपीसी में प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
3.	2	134:3	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जयपुर क्षेत्र–द्वितीय, जयपुर को पुनर्गठित जल योजना हरमाडा के सुधार एवं विकास हेतु ईएसआर, सीडब्ल्यूआर एवं पम्प हाउस के निर्माण हेतु श्मशान भूमि, जेडीए स्कीम के पास, बढारणा में 990 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–2 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जयपुर क्षेत्र–द्वितीय, जयपुर को पुनर्गठित जल योजना हरमाडा के सुधार एवं विकास हेतु ईएसआर, सीडब्ल्यूआर एवं पम्प हाउस के निर्माण हेतु श्मशान भूमि, जेडीए स्कीम के पास, बढारणा में 990 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि / 3 / 2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को श्मशान भूमि, जेडीए स्कीम के पास, बढ़ारणा में 990 वर्गमीटर भूमि पेयजल योजना हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
4.	2	134:4	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नवीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर–10 में भूखण्ड संख्या पी–8 क्षेत्रफल 2669.43 व.मी. भूमि में से 669.43 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–2 द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नवीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर–10 में भूखण्ड संख्या पी–8 क्षेत्रफल 2669.43 व.मी. भूमि में से 669.43 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55)नविवि / 3 / 2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को भूखण्ड संख्या पी–8, सेक्टर नं. 10, विद्याधर नगर में से 669.43 वर्गमीटर भूमि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

5.	4	134:5	श्री कल्याण जैम एक्सपोर्टस् लि. को ग्राम मनोहरपुरा तह. सांगानेर के खसरा नं. 164, 165, 184, 185, 186 एवं 186/685 में स्थित 165.62 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि को पूर्व में जविप्रा द्वारा जारी आवासीय पुनर्गठित लीजडीड दिनांक 11.07.16 में सम्मिलित कर संशोधित आवंटन पत्र जारी करने के संबंध में।	उपायुक्त जोन–4 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि श्री कल्याण जैम एक्सपोर्टस् लि. को ग्राम मनोहरपुरा तह. सांगानेर के खसरा नं. 184, 186/685 में क्षेत्रफल 3568.58 वर्गमीटर, खसरा नं. 164, 165, 185, 186 में से 1584 वर्गमीटर व गंगाधर नगर के भूखण्ड सं. 9 से 15 की लीजडीड जारी की गई है। इसके पश्चात् आवेदक को कुल 6444.06 वर्गमीटर भूमि का पुनर्गठित पट्टा दिनांक 11.07.16 को जारी किया गया है। मौके पर खसरा नं. 165 व 165/684 में 165.62 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त उपलब्ध है। उपायुक्त द्वारा अतिरिक्त भूमि 165.62 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा बढ़े हुये क्षेत्रफल का पृथक भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता, संबंधी टिप्पणी भी अंकित की है। एलपीसी की बैठक दिनांक 28.10.16 में लिये गये निर्णय के क्रम में उपायुक्त द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत चाही गई भूमि खसरा नं. 165/684 का भाग है, जविप्रा स्वामित्व में है व सुविधा क्षेत्र का भाग नहीं है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की 165.62 वर्गमीटर भूमि को आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में स्ट्रीप ऑफ लैण्ड का क्षेत्रफल 100 वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
6.	4	134:6	मैसर्स रूबी बिल्डकोन प्रा. लि. को ग्राम मनोहरपुरा तह. सांगानेर के खसरा नं. 164, 165, 185, 186 में स्थित 246. 26 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि को पूर्व में जविप्रा द्वारा जारी आवासीय पुनर्गठित लीजडीड दिनांक 08.09.09 में सम्मिलित कर संशोधित आवंटन पत्र जारी करने के संबंध में।	उपायुक्त जोन–4 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि मैसर्स रूबी बिल्डकोन प्रा. लि. को ग्राम मनोहरपुरा तह. सांगानेर के खसरा नं. 164, 165, 185, 186 में से 1834.96 वर्गमीटर की लीजडीड दिनांक 08.09. 09 को जारी की गई है। मौके पर खसरा नं. 164 व 165/684 में 246.62 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त उपलब्ध है। उपायुक्त द्वारा अतिरिक्त भूमि 246.62 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा बढ़े हुये क्षेत्रफल का पृथक भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता, संबंधी टिप्पणी भी अंकित की है। एलपीसी की बैठक दिनांक 28.10.16 में लिये गये निर्णय के क्रम में उपायुक्त द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत चाही गई भूमि ग्राम मनोहरपुरा के खसरा नं. 165 व 165/684 का भाग है, जविप्रा स्वामित्व में है व सुविधा क्षेत्र का भाग नहीं है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की 246.62 वर्गमीटर भूमि को आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में स्ट्रीप ऑफ लैण्ड का क्षेत्रफल 100 वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
7.	4	134:7	मैसर्स रूबी बिल्डकोन प्रा. लि. को ग्राम मनोहरपुरा तह. सांगानेर के खसरा नं. 164, 185, 186, 185/684 में स्थित 236.12 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि को पूर्व में जविप्रा द्वारा जारी आवासीय पुनर्गठित लीजडीड दिनांक 13.09.06 में	उपायुक्त जोन–4 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि मैसर्स रूबी बिल्डकोन प्रा. लि. को ग्राम मनोहरपुरा तह. सांगानेर के खसरा नं. 164, 165, 185, 186 में से 2950.07 वर्गमीटर की लीजडीड दिनांक 13.09. 06 को जारी की गई है। मौके पर खसरा नं. 165 व 165/684 में 236.12 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त उपलब्ध है। उपायुक्त द्वारा अतिरिक्त भूमि 236.12 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा

			सम्मिलित कर संशोधित आवंटन पत्र जारी करने के संबंध में।	बढ़े हुये क्षेत्रफल का पृथक भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता, संबंधी टिप्पणी भी अंकित की है। एलपीसी की बैठक दिनांक 28.10.16 में लिये गये निर्णय के क्रम में उपायुक्त द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत चाही गई भूमि ग्राम मनोहरपुरा के खसरा नं. 165/684 का भाग है, जविप्रा स्वामित्व में है व सुविधा क्षेत्र का भाग नहीं है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की 236.12 वर्गमीटर भूमि को आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में स्ट्रीप ऑफ लैण्ड का क्षेत्रफल 100 वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
8.	7	134:8	पूज्य सिन्धी पंचायत संस्था (रजि.), वैशाली नगर, जयपुर को वार्ड नं. 21 में बी.एस.एन. एल. ऑफिस के पीछे सरकारी भूमि प्लाट नं. डी–145 के सामने, वैशाली नगर, जयपुर में 500 वर्गमीटर भूमि का रोजगार परक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु आवंटन करने के संबंध में।	उपायुक्त जोन–7 द्वारा पूज्य सिन्धी पंचायत संस्था (रजि.), वैशाली नगर, जयपुर को वार्ड नं. 21 में बी.एस.एन.एल. ऑफिस के पीछे सरकारी भूमि प्लाट न. डी–145 के सामने, वैशाली नगर, जयपुर में 500 वर्गमीटर भूमि का रोजगार परक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि संस्था की डी.पी.आर. में निर्माण कार्य पूर्ण होने का विवरण दर्ज कराया जावे कि आवंटन के प्रथम वर्ष में कितने प्रतिशत कार्य कर लिया जावेगा व द्वितीय वर्ष तक कार्य पूर्ण करना होगा। इस आशय का अण्डरटेकिंग भी संस्था से लिया जावे। वित्तीय स्थिति (Means of finance) को स्पष्ट कराया जावे। उपायुक्त द्वारा यह देखा जावे कि संस्था द्वारा किस प्रयोजन हेतु भूमि चाही जा रही है, क्या वह प्रयोजन संस्था के विधान में वर्णित है। एजेण्डा नोट के सभी कॉलम की पूर्ति स्पष्ट रूप से की जावे तथा नियम/प्रावधान व पात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। भूमि की मात्रा व ली जाने वाली दर का औचित्य भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे। भूमि विकसित है या अविकसित यदि विकसित है, तो क्या बेशकीमती है? मास्टर प्लान में अनुज्ञेयता व कोर्ट के निर्णय से प्रभावित न होने संबंधी टिप्पणी भी स्पष्ट रूप से अंकित की जावे। सम्पूर्ण जाँच के उपरान्त स्पष्ट टिप्पणी के साथ प्रकरण आगामी एलपीसी में प्रस्तुत करें।
9.	8	134:9	विशेष सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर को जविप्रा की योजना पत्रकार कॉलोनी में भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–8 द्वारा विशेष सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर को जविप्रा की योजना पत्रकार कॉलोनी में उपलब्ध 800 वर्गमीटर की रि–प्लानिंग कर 12 मीटर चौडी रोड पर 600 वर्गमीटर का भूखण्ड शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पत्रकार कॉलोनी हेतु पत्रकार कॉलोनी में उपलब्ध भूमि में से रि–प्लानिंग कर 600 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। शेष भूमि के उचित निस्तारण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे।
10.	8	134:10	अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को जविप्रा की आवासीय योजना स्वर्ण विहार में 2374.02	उपायुक्त जोन–8 द्वारा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को जविप्रा की आवासीय योजना स्वर्ण विहार में 2374.02 वर्गमीटर भूमि पुलिस थाना हेतु आवंटित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर स्वर्ण विहार

			वर्गमीटर भूमि पुलिस थाना हेतु आवंटित करने बाबत।	योजना में उपलब्ध 2374.02 वर्गमीटर भूमि पुलिस थाना, मुहाना हेतु निःशुल्क आवंटन करने की सैद्धान्तिक सहमति के साथ स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
11.	8	134:11	निजी खातेदार को जविप्रा की योजना वेस्व वे हाईट्स (ट्रक टर्मिनल) में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–8 द्वारा बैठक के दौरान बताया गया कि प्रकरण में निजी खातेदारों के भूखण्डों पर माननीय न्यायालय का स्थगन होने से विनिमय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अब स्थगन समाप्त हो गया है। अतः कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। अतः समिति द्वारा उपायुक्त को अपने स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
12.	9	134:12	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जयपुर–द्वितीय को उपकेन्द्र, मुरलीपुरा हेतु निजी खातेदारी योजना नंदन रेजीडेन्सी में सुविधा क्षेत्र की भूमि क्षेत्रफल 1748.40 वर्गगज में से 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जयपुर– द्वितीय को उपकेन्द्र, मुरलीपुरा हेतु निजी खातेदारी योजना नंदन रेजीडेन्सी में सुविधा क्षेत्र की भूमि क्षेत्रफल 1748.40 वर्गगज में से 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को उपकेन्द्र, मुरलीपुरा हेतु नंदन रेजीडेन्सी के सुविधा क्षेत्र में से 500 वर्गमीटर निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
13.	9	134:13	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जयपुर– द्वितीय को उपकेन्द्र, जयपुरा हेतु निजी खातेदारी योजना स्वामी केश्वानंद नगर में सुविधा क्षेत्र की भूमि क्षेत्रफल 750 वर्गगज में से 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जयपुर– द्वितीय को उपकेन्द्र, जयपुरा हेतु निजी खातेदारी योजना स्वामी केशवानंद नगर में सुविधा क्षेत्र की भूमि क्षेत्रफल 750 वर्गगज में से 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को उपकेन्द्र, जयपुरा हेतु केश्वानंद नगर के सुविधा क्षेत्र में से 500 वर्गमीटर निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
14.	9	134:14	अखिल भारतीय रेबारी (रायका) समाज सेवा संस्थान द्वारा छात्रावास हेतु 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत!	उपायुक्त जोन–9 द्वारा अखिल भारतीय रेबारी (रायका) समाज सेवा संस्थान, हरिद्वार को जविप्रा की संस्थानिक योजना रामचन्द्रपुरा के भूखण्ड संख्या 5 व 6 क्षेत्रफल क्रमशः 2391.72 वर्गमीटर व 2075.41 वर्गमीटर कुल 4467.13 वर्गमीटर छात्रावास हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विनर्श कर निर्णय लिया गया कि संस्था की डी.पी.आर. में निर्माण कार्य पूर्ण होने का विवरण दर्ज कराया जावे कि आवंटन के प्रथम वर्ष में कितने प्रतिशत कार्य कर लिया जावेगा व द्वितीय वर्ष तक कार्य पूर्ण करना होगा। इस आशय का अण्डरटेकिंग भी संस्था से लिया जावे। वित्तीय स्थिति (Means of finance) को स्पष्ट कराया जावे। उपायुक्त द्वारा यह देखा जावे कि संस्था द्वारा किस प्रयोजन हेतु भूमि चाही जा रही है, क्या वह प्रयोजन संस्था के विधान में वर्णित है। एजेण्डा नोट के सभी कॉलम की पूर्ति स्पष्ट रूप से की जावे तथा नियम/प्रावधान व पात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। भूमि की मात्रा व ली जाने वाली दर का औचित्य भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे। भूमि विकसित है या अविकसित यदि विकसित है, तो क्या बेशकीमती है ?
15.	9	134:15	श्री खण्डेलवाल वैश्य जाग्रति मण्डल समिति, प्रताप नगर	उपायुक्त जोन–9 द्वारा श्री खण्डेलवाल वैश्य जाग्रति मण्डल समिति, प्रताप नगर को जविप्रा की संस्थानिक

			को समाज सेवा हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	योजना रामचन्द्रपुरा के भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल 2009.94 वर्गमीटर समाज उपयोगी कार्यो हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि संस्था की डी.पी.आर. में निर्माण कार्य पूर्ण होने का विवरण दर्ज कराया जावे कि आवंटन के प्रथम वर्ष में कितने प्रतिशत कार्य कर लिया जावेगा व द्वितीय वर्ष तक कार्य पूर्ण करना होगा। इस आशय का अण्डरटेकिंग भी संस्था से लिया जावे। वित्तीय स्थिति (Means of finance) को स्पष्ट कराया जावे। उपायुक्त द्वारा यह देखा जावे कि संस्था द्वारा किस प्रयोजन हेतु भूमि चाही जा रही है, क्या वह प्रयोजन संस्था के विधान में वर्णित है। एजेण्डा नोट के सभी कॉलम की पूर्ति स्पष्ट रूप से की जावे तथा नियम/प्रावधान व पात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। भूमि की मात्रा व ली जाने वाली दर का औचित्य भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे। भूमि विकसित है या अविकसित यदि विकसित है, तो क्या बेशकीमती है ?
16.	9	134:16	कर्मचारी आवासीय योजना टीलावाला में आवंटित भूखण्ड संख्या 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 के बदले खूसर योजना में विनिमय में आवंटन किये जाने बाबत।	जविप्रा की कर्मचारी आवासीय योजना टीलावाला में आवंटित भूखण्ड संख्या 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 पर खातेदारों का कब्जा होने व माननीय न्यायालय में वाद लम्बित के कारण उक्त भूखण्डों का कब्जा आवंटियों को नहीं दिया जा सका। आवंटियों द्वारा उक्त भूखण्डों के बदले खूसर योजना में भूखण्ड आवंटन की मांग की है। अतः उपायुक्त द्वारा टीलावाला योजना के स्थान पर खूसर योजना में सृजित किये गये 5 भूखण्डों में से विनिमय किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के अनुसार प्रकरण में लॉटरी निकाली जा चुकी है व राशि पूर्व में जमा है। उपायुक्त द्वारा कब्जा पत्र जारी होने की दिनांक से शहरी जमाबंदी व नजराना राशि पूर्व में जमा मानते हुये विनिमय करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
17.	9	134:17	श्री लक्ष्मी नारायण टेलर पुत्र श्री छगन लाल टेलर को भूखण्ड संख्या डी–343 योजना महल क्षेत्रफल 45.00 वर्गमीटर के बदले भूखण्ड संख्या एफ–165 एवं डी–326 में से एक भूखण्ड का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण टेलर पुत्र श्री छगन लाल टेलर को भूखण्ड संख्या डी–343 योजना महल क्षेत्रफल 45.00 वर्गमीटर के बदले भूखण्ड संख्या एफ–165 एवं डी–326 में से एक विनिमय करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा आवंटी को आवंटित भूखण्ड संख्या डी–343 का सृजित ब्लॉक विलोपित हो जाने के कारण विनिमय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि जब सम्पूर्ण ब्लॉक ही विलोपित हो गया है, तो एक ही भूखण्ड विनिमय का प्रस्ताव क्यों प्रस्तुत किया गया है? अतः समिति द्वारा समस्त प्रभावित भूखण्डधारियों के विनिमय का प्रस्ताव एक साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
18.	11	134:18	श्रीमती रामजानकी देवी परवाल पत्नी श्री उत्तमचन्द परवाल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा के आवासीय भूखण्ड संख्या 506 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर (नॉन कॉर्नर) का मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड ट्रिंगुलर/	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्रीमती रामजानकी देवी परवाल पत्नी श्री उत्तमचन्द परवाल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा के आवासीय भूखण्ड संख्या 506 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर (नॉन कॉर्नर) का मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड ट्रिंगुलर/त्रिभुजाकार होने व भूखण्ड के बिल्कुल साथ में सटे हुये एच.टी. लाईन गुजरने के कारण उक्त भूखण्ड के स्थान पर ग्राम भम्भोरिया/बगरूखुर्द के समान रोड चौडाई पर स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या 12, 19 क्षेत्रफल 1250

			त्रिभुजाकार होने व भूखण्ड के बिल्कुल साथ में सटे हुये एच. टी. लाईन गुजरने के कारण उक्त भूखण्ड के स्थान पर अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	वर्गमीटर को विनिमय करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा उपायुक्त के प्रस्ताव में विनिमय हेतु पर्याप्त व उचित कारण नहीं होने से प्रस्ताव अस्वीकार करने का निर्णय लिया किया गया।
19.	11	134:19	श्री लालाराम पुत्र श्री भूरा उर्फ भंवरलाल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई के आवासीय भूखण्ड संख्या 659–सी आवंटित क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर (कॉर्नर) का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ जाने के कारण बढे हुये क्षेत्रफल 175 वर्गमीटर के आवंटन में आवंटी को अन्य भूखण्ड संख्या 11 ग्राम टीलावास में कम हुई 137.5 वर्गमीटर भूमि का समायोजन करने बाबत।	एलपीसी की 132वीं बैठक दिनांक 14.03.17 में श्री लालाराम पुत्र श्री भूरा उर्फ भंवरलाल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई में आवासीय भूखण्ड संख्या 659–सी क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर में बढ़े हुये क्षेत्रफल 175 वर्गमीटर को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि सेज पुनर्वास योजना ग्राम टीलावास के भूखण्ड संख्या 11 में 137.50 वर्गमीटर भूमि कम आवंटित हुई है, जिसका समायोजन उक्त बढे हुये क्षेत्रफल 175 वर्गमीटर में करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर 137.50 वर्गमीटर को समायोजन करते हुये शेष 37.50 वर्गमीटर भूमि की राशि लिये जाने हेतु प्रस्ताव दिया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त के प्रस्ताव का अनुमोदन कर 37.50 वर्गमीटर भूमि की राशि योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर से लिये जाने का निर्णय लिया गया।
20.	11	134:20	श्रीमती मधु पारीक पत्नी श्री जगदीश चन्द्र पारीक एवं श्री मंजूलता पारीक पत्नी श्री सतीश चन्द्र पारीक को सेज पुनर्वास योजना ग्राम टीलावास के आवासीय भूखण्ड संख्या 58 का आवंटित क्षेत्रफल 900 वर्गमीटर श्मशान में सटा हुआ होने के कारण आवंटी को अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	समिति द्वारा उपायुक्त के प्रस्ताव में विनिमय हेतु पर्याप्त व उचित कारण नहीं होने से प्रस्ताव अस्वीकार करने का निर्णय लिया किया गया।
21.	12	134:21	कार्यालय नगर पालिका मण्डल बगरू, जयपुर में ग्राम बडी का खेडा, तहसील सांगानेर के खसरा नं. 118 किस्म चरागाह रकबा 5.29 हैक्टेयर भूमि में से 2000 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा कार्यालय नगर पालिका मण्डल बगरू, जयपुर में ग्राम बडी का खेडा, तहसील सांगानेर के खसरा नं. 118 किस्म चरागाह रकबा 5.29 हैक्टेयर भूमि में से 2000 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित किये जाने का एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 3 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम बडी का खेडा के खसरा नं. 118 में से 2000 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि नगर पालिका, बगरू को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। आरक्षित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
22.	12	134:22	श्रीमती मन्जू देवी को आवास सं. एम/एफएफ/5 मैसर्स विन्कास एस्टेट प्रा.लि. योजना	उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आवास सं. एम/एफएफ/5 मैसर्स विन्कास एस्टेट प्रा.लि. योजना में श्रीमती मन्जू देवी को दिनांक 26.

			में कम राशि जमा कराने पर उक्त आवास अन्य को आवंटित कर दिये जाने से उक्त आवास का आवंटन बहाल कर विनिमय में अन्य आवास दिये जाने बाबत।	11.12 को लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया था। आवेदिका द्वारा उक्त आवास की राशि कम जमा कराने पर आवंटन निरस्त कर प्रार्थिया को सूचित कर दिया गया। तथा उक्त आवास अन्य को आवंटित कर दिया गया। अब श्रीमती मन्जू देवी द्वारा आवंटन बहाल कर अन्य भूखण्ड आवंटन करने की मांग की जा रही है। अतः उपायुक्त द्वारा श्रीमती मन्जू देवी को उक्त आवास का आवास बहाल कर रिक्त फ्लेट सं. एन/जीएफ/8, ई–टीएफ/1 व एम/जीएफ/1 एल.आई.जी. वर्ग के समान फ्लेट में से एक फ्लेट विनिमय करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थिया द्वारा समय पर राशि जमा नहीं कराने पर आवंटन निरस्त कर अन्य को आवंटन कर दिया गया है। अतः इस स्थिति में आवंटन बहाल किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।
23.	12	134:23	श्री गोपाल लाल कुमावत, श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा, श्री अशोक कुमार शर्मा व श्री सीताराम मीणा को जविप्रा की आवासीय योजना हाथोज विस्तार में आवंटित कुल 4 भूखण्डों का कब्जा नहीं दिये जाने की स्थिति में अन्य रिक्त/उपलब्ध भूखण्ड नहीं होने के कारण कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय में आवंटित किये जाने बाबत।	श्री गोपाल लाल कुमावत, श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा, श्री अशोक कुमार शर्मा व श्री सीताराम मीणा को जविप्रा की आवासीय योजना हाथोज विस्तार में आवंटित भूखण्ड संख्या डी–87, डी–281 सी–11 प्रत्येक क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर व भूखण्ड संख्या एफ–151 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर इस प्रकार कुल 4 भूखण्डों के मौके पर अतिक्रमण होने से कब्जा नहीं दिया जा सका है। अतः उपायुक्त द्वारा उक्त भूखण्डों के स्थान पर नॉन कॉर्नर भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने से उपलब्ध कॉर्नर भूखण्डों में से विनिमय किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त के प्रस्तावानुसार नॉन कॉर्नर भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने से समान माप के कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया। आवंटी से नियमानुसार कॉर्नर चार्जेज भी वसूल किया जावे। साथ ही उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि प्रभावित भूखण्डों का सीमाज्ञान कराकर अतिक्रमण हटाकर एक माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
24.	12	134:24	श्रीमती अन्तर कंवर को सहभागिता आवास योजना (पीपीपी) राजस्थान सरकार की अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अन्तर्गत मैसर्स सिन्टेक्स इण्डस्ट्रीज लि. द्वारा निर्मित जी+3 आवास में आवंटित आवास सं. सी–3/जीएफ/2 के बदले अन्य रिक्त उपलब्ध फ्लेक्स् सं. बी–3/एफएफ/8, ई–1/जीएफ/3 एवं ई–3/जीएफ/3 ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के समान फ्लेट में से एक फ्लेट का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि श्रीमती अन्तर कंवर को सहभागिता आवास योजना (पीपीपी) राजस्थान सरकार की अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अन्तर्गत मैसर्स सिन्टेक्स इण्डस्ट्रीज लि. द्वारा निर्मित जी+3 आवास में आवास सं. सी–3/जीएफ/2 का आवंटन लॉटरी द्वारा दिनांक 05.05.11 को किया गया था। प्रार्थिया द्वारा उक्त आवास के पेटे लेय राशि 243157/– में से 88157/– रूपये समयावधि में जमा करा दिये थे तथा शेष राशि 155000/– रूपये अन्तिम दिनांक 09.09.15 के बाद दिनांक 10.09.15 को जमा कराये। कुल राशि जमा है। प्रार्थिया द्वारा उक्त फ्लेट की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर आवंटन निरस्त कर प्रार्थिया को सूचित कर दिया गया तथा उक्त आवास अन्य को आवंटित कर दिया गया। श्रीमती अन्तर कंवर द्वारा उक्त भूखण्ड का आवंटन बहाल करने की मांग की जा रही है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उपायुक्त द्वारा आवास सं. सी–3/जीएफ/2 के बदले अन्य रिक्त उपलब्ध फ्लेक्स् सं. बी–3/एफएफ/8, ई–1/जीएफ/3 एवं ई–3/जीएफ/3 ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के समान फ्लेट में से एक फ्लेट का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थिया द्वारा समय पर राशि जमा नहीं कराने पर

			.	आवंटन निरस्त कर अन्य को आवंटन कर दिया गया है। अतः इस स्थिति आवंटन बहाल किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रकरण को राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।
25.	12	134:25	श्री कन्हैयालाल कनवा पुत्र श्री हरीश चन्द्र को निजी खातेदारी की आवासीय योजना मंगलम् विहार में एल. आई.जी. भूखण्ड संख्या सी–16 के स्थान पर सी–12 का विनिमय करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा श्री कन्हैयालाल कनवा पुत्र श्री हरीश चन्द्र को निजी खातेदारी की आवासीय योजना मंगलम् विहार में एल.आई.जी. भूखण्ड संख्या सी–16 क्षेत्रफल 91.68 वर्गमीटर लॉटरी द्वारा आवंटित किया गया था। उक्त भूखण्ड को नियमानुसार फ्रंट कम उपलब्ध होने के कारण जोन द्वारा अन्य भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु विकासकर्ता को पत्र भेजा गया। जिसकी पालना में विकासकर्ता द्वारा सामान्य श्रेणी के आवासीय भूखण्ड संख्या सी–12 क्षेत्रफल 103.59 वर्गमीटर प्रार्थी को दिये जाने हेतु विकल्प प्रस्तुत किया है। जिसका क्षेत्रफल 11.91 वर्गमीटर अधिक है। अतः उपायुक्त ने भूखण्ड संख्या सी–16 के स्थान पर सी–12 भूखण्ड आवंटन करने एवं एल.आई.जी. श्रेणी के एवज में नियमानुसार राशि लिया जाकर सामान्य आवासीय भूखण्ड आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट पस्तुत किया था। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या सी–16 के स्थान पर सी–12 का विनिमय करने एवं अधिक क्षेत्रफल 11.91 वर्गमीटर की राशि नियमानुसार एल. आई.जी. श्रेणी की दर के अनुसार लिये जाने का निर्णय लिया गया।
26.	12	134:26	श्रीमती प्रतिभा पारीक को जविप्रा की आवासीय योजना बगरूग्रीन्स में आवंटित भूखण्ड सं. 137 के स्कूल हेतु आरक्षित होने से योजना में अन्य भूखण्ड विनिमय करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त के स्तर पर पूर्ण परीक्षण कर उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
27.	13	134:27	सहायक अभियन्ता (प.वस.) जेवीवीएनएल, बड़पीपली, जयपुर को 33/11 केवी जीएसएस छापराडी के निर्माण हेतु राजस्व ग्राम जैतपुरा खींची तहसील आमेर के खसरा नं. 940 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, 941 रकबा 0.6200 हैक्टे. किता 02 कुल रकबा 0. 8800 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	एलपीसी की 75वीं बैठक में ग्राम छापराडी में 33/11 केवी सब स्टेशन के निर्माण हेतु ग्राम छापराडी तहसील आमेर के खसरा नं. 201 में से 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की गई थी। जिसकी राशि विभाग द्वारा जमा करा दी गई। जिस पर पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने से पुनः एलपीसी की 104वीं बैठक दिनांक 28.02.14 में पुनः ग्राम छापराडी के खसरा नं. 117 में से 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की गई। किन्तु उक्त भूमि हेतु भी पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं हो पाया। अतः उपायुक्त द्वारा पुनः सहायक अभियन्ता (प.वस.) जेवीवीएनएल, बड़पीपली, जयपुर को 33/11 केवी जीएसएस छापराडी के निर्माण हेतु राजस्व ग्राम जैतपुरा खींची तहसील आमेर के खसरा नं. 940 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, 941 रकबा 0.6200 हैक्टे. किता 02 कुल रकबा 0. 8800 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट के कॉलम संख्या 34 में उक्त भूमि हेतु पहुँच मार्ग राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उपलब्ध होना अंकित किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को ग्राम छापराडी के खसरा नं. 117 के स्थान पर ग्राम जैतपुरा खींची के खसरा नं. 940 व 941 कुल रकबा 0.8800 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
28.	13	134:28	सरपंच ग्राम पंचायत इन्द्रगढ़ को ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 786 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 787	उपायुक्त जोन–13 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत इन्द्रगढ़ को ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 786 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 787 रकबा 0.15 हैक्टे., 788 रकबा 0. 80 हैक्टे. किता 03 कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर किस्म बंजड

सचिव, भूमि ... विकास प्राधिकरण, जयपुर

			रकबा 0.15 हैक्टे., 788 रकबा 0.80 हैक्टे. किता 03 कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर किस्म बंजड सम्पूर्ण भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए राजकीय भवन निर्माणों हेतु आवंटन करने बाबत।	सम्पूर्ण भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए राजकीय भवन निर्माण यथा सामुदायिक भवन, किसान सेवा केन्द्र, अनाज गोदाम, पटवार घर, आँगनबाडी केन्द्र के लिए आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम इन्द्रगढ़ के खसरा नं. 786, 788 कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर किस्म बंजड राजकीय विभागों हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। भूमि की प्लानिंग की कार्यवाही की जावे तथा सम्बन्धित विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये आवंटन की कार्यवाही की जावे।
29.	13	134:29	श्री रामकृपा लैण्ड मार्क प्रा. लि. जरिये निदेशक श्रीमति रेणु अग्रवाल रिसर्जेन्ट राजस्थान ग्राम चिमनपुरा उर्फ ढाबकानाला तहसील आमेर के खसरा नं. 27, 28, 31 से 34 तक कुल किता 6 रकबा 0.49 हैक्टेयर भूमि जिसके संबंध में दिनांक 18.09.2008 व 19.09.2008 को राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर आवंटन पत्र एवं कब्जा पत्र दिनांक 22.05.2009 एवं 25.05.2009 को जारी हो चुके हैं, के आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा श्री रामकृपा लैण्ड मार्क प्रा. लि. जरिये निदेशक श्रीमति रेणु अग्रवाल रिसर्जेन्ट राजस्थान ग्राम चिमनपुरा उर्फ ढाबकानाला, तहसील आमेर के खसरा नं. 27, 28, 31 से 34 तक कुल किता 6 रकबा 0.49 हैक्टेयर भूमि जिसके संबंध में दिनांक 18.09.2008 व 19.09.2008 को राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर आवंटन पत्र एवं कब्जा पत्र दिनांक 22.05.2009 एवं 25.05.2009 को जारी हो चुके हैं, के आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में भूमि के लैण्ड यूज की अनुज्ञेयता का परीक्षण मास्टर प्लान–2025 के अनुरूप एवं गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.17 के परिपेक्ष्य में किया जाने हेतु स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
30.	13	134:30	श्रीमती गीता गोदारा पत्नि श्री संजय गोदारा को जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 666 रकबा 0.38 हैक्टेयर किस्म बंजड में से 18 मीटर चौडे पहुंच मार्ग हेतु कुल क्षेत्रफल 635.13 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा श्रीमती गीता गोदारा पत्नि श्री संजय गोदारा को जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 666 रकबा 0.38 हैक्टेयर किस्म बंजड में से 18 मीटर चौडे पहुंच मार्ग हेतु (90.00 मीटर प्रस्तावित रोड की भूमि एवं प्लांटेशन कॉरिडोर आंशिक भूमि) कुल क्षेत्रफल 635.13 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 व राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों हेतु भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत उक्त प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन का प्रावधान नहीं होने से अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया।
31.	14	134:31	पशु चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) पशुचिकित्सालय बीलवा, जयपुर को पशुचिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु ग्राम बीलवा के आस–पास भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) पशुचिकित्सालय बीलवा, जयपुर को पशुचिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु ग्राम बीलवा में सृजित आवासीय योजना के सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित 4870.67 वर्गमीटर भूमि में से 800 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को ग्राम बीलवा में सृजित आवासीय योजना के सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि में से 800 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निःशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का भी निर्णय लिया गया।
32.	14	134:32	डॉ. प्रवीण असवाल, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जयपुर–द्वितीय को ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के	उपायुक्त जोन–14 द्वारा डॉ. प्रवीण असवाल, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जयपुर–द्वितीय को ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के खसरा नं. 696 रकबा 4.49 हैक्टेयर में से 3000 वर्गमीटर भूमि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में काम करने वाले चिकित्सकों, पीएमओ व

			खसरा नं. 696 रकबा 4.49 हैक्टेयर में से 3000 वर्गमीटर भूमि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में काम करने वाले चिकित्सकों, पीएमओ व वार्ड बॉय के आवास बायोमेडिकल वेस्ट रूम व मोर्चरी के निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	वार्ड बॉय के आवास बायोमेडिकल वेस्ट रूम व मोर्चरी के निर्माण हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वाटिका हेतु पूर्व में 3000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की जा चुकी है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवास हेतु आवंटन नीति में प्रावधान न होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार को निर्णयार्थ प्रेषित किया जावे।
33.	14	134:33	सरपंच ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा को ग्राम मनोहरियावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 392 रकबा 1.61 हैक्टेयर के खसरा नं. 392 की भूमि में से 2500 व.मी. भूमि श्मशान घाट हेतु आरक्षित करने बाबत।	एलपीसी की 118वीं बैठक दिनांक 30.07.15 में सरपंच, ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा को ग्राम मनोहरियावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 392 रकबा 1.61 हैक्टेयर के खसरा नं. 392 की भूमि में से 2500 व.मी. भूमि श्मशान घाट हेतु संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण में राज्य सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 07.01.16 में भूमि आवंटन नीति–2015 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है। अतः उपायुक्त द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा को ग्राम मनोहरियावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 392 की भूमि में से 2500 व.मी. भूमि श्मशान घाट हेतु आरक्षित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 3 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम मनोहरियावाला के खसरा नं. 392 की भूमि में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आवंटन के स्थान पर आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। आरक्षित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
34.	14	134:34	ग्राम रामसिंहपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1313 रकबा 2.04 हैक्टेयर चरागाह भूमि में से 1500 वर्गमीटर भूमि सामुदायिक भवन, रामसिंहपुरा के निर्माण बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा ग्राम रामसिंहपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1313 रकबा 2.04 हैक्टेयर चरागाह भूमि में से 1500 वर्गमीटर भूमि सामुदायिक भवन, रामसिंहपुरा के निर्माण हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में संबंधित से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः 1500 वर्गमीटर भूमि सामुदायिक भवन हेतु आरक्षित की जावे।
35.	14	134:35	श्रीमती प्रतिभा शर्मा को देव विहार योजना में भूखण्ड संख्या जी–178 के स्थान पर जी–173 का विनिमय करने बाबत।	जविप्रा द्वारा निकाली गई देव विहार आवासीय योजना की लॉटरी में भूखण्ड संख्या डी–178 डॉल्फिन गोयल को आवंटित हुआ था। जिसकी राशि डॉल्फिन गोयल द्वारा जमा करा दी गई। इसी लॉटरी में भूखण्ड संख्या डी–173 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर श्रीमती मीरा देवी को आवंटन किया गया। प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आवंटन निरस्त किया गया। जिससे भूखण्ड संख्या डी–173 रिक्त हो गया। जविप्रा द्वारा रिक्त भूखण्डों को पुनः लॉटरी में शामिल करते समय सहवन से रिक्त भूखण्ड संख्या डी–173 के स्थान पर भूखण्ड संख्या डी–178 को शामिल कर लिया गया। जिसके फलस्वरूप उक्त भूखण्ड संख्या डी–178 श्रीमती प्रतिभा शर्मा को आवंटित हो गया। जबकि भूखण्ड संख्या डी–178 पूर्व में ही डॉल्फिन गोयल को आवंटित है। अतः उपायुक्त जोन–14 द्वारा भूखण्ड संख्या

				डी–178 के स्थान पर भूखण्ड संख्या डी–173 का आवंटन श्रीमती प्रतिभा शर्मा को करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या डी–178 के स्थान पर भूखण्ड संख्या डी–173 का विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
36.	4	134:36	श्रीमती सरोज देवी को सवाई गैटोर आवासीय योजना में ग्राम चैनपुरा की अवाप्तशुदा भूमि के खसरा नं. 110 व 111 जवाहर सर्किल के विस्थापित खातेदार को पुनर्वास नीति के तहत आवंटित भूखण्ड संख्या 16ए के स्थान पर मौके पर काबिज निर्माण के आधार पर भूखण्ड संख्या 11 का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–4 द्वारा श्रीमती सरोज देवी को सवाई गैटोर आवासीय योजना में ग्राम चैनपुरा की अवाप्तशुदा भूमि के खसरा नं. 110 व 111 जवाहर सर्किल के विस्थापित खातेदार को पुनर्वास नीति के तहत आवंटित भूखण्ड संख्या 16ए के स्थान पर मौके पर काबिज निर्माण के आधार पर भूखण्ड संख्या 11 का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। आवेदिका को पूर्व में भूखण्ड संख्या 16ए आवंटन किया गया था, जिस पर अन्य व्यक्ति काबिज है तथा आवेदिका भूखण्ड संख्या 11 पर काबिज है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त के स्तर पर पूर्ण परीक्षण कर उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
37.	9	134:37	जन कल्याण संस्थान को सामाजिक सांस्कृतिक शोध कार्य हेतु जविप्रा की संस्थानिक योजना रामचन्द्रपुरा के भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 3678.24 वर्गमीटर का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा जन कल्याण संस्थान को सामाजिक सांस्कृतिक शोध कार्य हेतु जविप्रा की संस्थानिक योजना रामचन्द्रपुरा के भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 3678.24 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि संस्था की डी.पी.आर. में निर्माण कार्य पूर्ण होने का विवरण दर्ज कराया जावे कि आवंटन के प्रथम वर्ष में कितने प्रतिशत कार्य कर लिया जावेगा व द्वितीय वर्ष तक कार्य पूर्ण करना होगा। इस आशय का अण्डरटेकिंग भी संस्था से लिया जावे। वित्तीय स्थिति (Means of finance) को स्पष्ट कराया जावे। उपायुक्त द्वारा यह देखा जावे कि संस्था द्वारा किस प्रयोजन हेतु भूमि चाही जा रही है, क्या वह प्रयोजन संस्था के विधान में वर्णित है। एजेण्डा नोट के सभी कॉलम की पूर्ति स्पष्ट रूप से की जावे तथा नियम/प्रावधान व पात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। भूमि की मात्रा व ली जाने वाली दर का औचित्य भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे। भूमि विकसित है या अविकसित यदि विकसित है, तो क्या बेशकीमती है ?

आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

38.	10	134:37(1)	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को जामडोली एवं निकटवर्ती क्षेत्र में बीसलपुर पाईपलाईन से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्राम बगराना के खसरा नम्बर 276 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई. एस.आर. हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–10 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को जामडोली एवं निकटवर्ती क्षेत्र में बीसलपुर पाईपलाईन से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्राम बगराना के खसरा नम्बर 276 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट के अनुसार उक्त भूमि आबादी के पास स्थित है तथा कच्चा रास्ता उपलब्ध है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को ग्राम बगराना के खसरा नं. 276 में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी–द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1 से 14 व पीआरएन (उत्तर/दक्षिण), जविप्रा, जयपुर।
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 134वीं बैठक दिनांक 31.05.2017 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री वैभव गालरिया, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री ललित शर्मा, निदेशक (अभियांत्रिकी–द्वितीय)	सदस्य
3.	श्री बृजेश किशोर शर्मा, कार्यवाहक निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
5.	श्री नवल किशोर बैरवा, उपायुक्त जोन–2	विशेष आमंत्रित
6.	श्री राधे प्रताप सिंह, उपायुक्त जोन–4	विशेष आमंत्रित
7.	डॉ. सत्यप्रकाश कस्वां, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
8.	श्री अशोक कुमार चौधरी, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
9.	श्री रामनारायण बडगुर्जर, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
10.	श्री देवेन्द्र कुमार जैन, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
11.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
12.	श्री बीरबल सिंह, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
13.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
14.	सुश्री बलविन्द्र कौर, एटीपी जोन–9	विशेष आमंत्रित
15.	श्रीमती उषा जैन, सलाहकार (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित